सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 माघ, 1941 (श०)

संख्या- 59 राँची, बुधवार, 29 जनवरी, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

संकल्प

22 जनवरी, 2020

संख्या-5/आरोप-1-494/2014-425 (HRMS)-- श्री प्रभात कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-754/03, गृह जिला-राँची) के विरूद्ध इनके प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी, बसिया, गुमला के पदस्थापन अवधि से संबंधित उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-63(ii)/स्था0, दिनांक 13.01.2012 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-'क' में श्री कुमार के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

आरोप- बिना स्थल निरीक्षण किये ही स्वयं सेवी संस्था के प्रभाव में आकर गलत व भ्रामक प्रतिवेदिन समर्पित किया जाना-

तत्कालीन उप विकास विकास आयुक्त, गुमला के पत्रांक-874(ii), दिनांक 06.08.2007 द्वारा गुमला जिला में नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे वृक्षारोपण कार्य का निरीक्षण करने का निर्देश सभी संबंधी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया गया था। तत्कालीन उप विकास आयुक्त, गुमला के पत्रांक-449(ii), दिनांक 11.10.2007 द्वारा जेट्रोफा वृक्षारोपण हेतु स्वयंसेवी संस्था, उत्थान, राँची के लिए स्वीकृत प्लॉट/रकबा का सत्यापन एवं रकवा मापी हेतु अंचल अधिकारी, बसिया को निदेश दिया गया। उप विकास आयुक्त, गुमला के उक्त पत्र के अनुपालन में आरोपी पदाधिकारी द्वारा खाता संख्या एवं प्लॉट संख्या का सत्यापन किया गया, किन्तु

रकवा का सत्यापन नहीं किया गया। इनके द्वारा अपने पत्रांक-530(ii), दिनांक 20.12.2007 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में लिखा गया कि ''प्रति एकड़ 666 पौधे मानक प्राक्कलन के अनुरूप लगाये गये हैं।'' इनके द्वारा यह भी लिखा गया कि ''जेट्रोफा पौधारोपण संबंधी विवरणी सही है तथा जमीन विवरणी का खाता एवं रकवा सही है।'' इससे स्पष्ट है कि इनके द्वारा बिना भौतिक सत्यापन के स्वयंसेवी संस्था के प्रभाव में प्रतिवेदन दिया गया है।

बाद में वृक्षारोपण की जाँच प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा गठित जाँच दल द्वारा करायी गयी। जाँच दल द्वारा वृक्षारोपण संबंधी योजनाओं की जाँच एवं भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें अत्यधिक अल्प कार्य पाया गया। यह भी प्रतिवेदित किया गया कि प्रसंगाधीन प्लॉटों के खतियानी रकबा को बढ़ाकर अधिक रकबा प्रतिवेदित किया गया है, जबकि बढ़ाया गया रकबा वस्तुतः खतियान में नहीं है एवं कुछ प्लॉटों को दोबारा दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से कुल 156.24 एकड़ ज्यादा भूमि पर पौधारोपण किया गया दर्शाया गया है, जो प्रमाणित करता है कि इनके द्वारा गलत प्रतिवेदन दिया गया है एवं स्वयंसेवी संस्था उत्थान, राँची को लोकधन के दुरूपयोग हेतु अनुचित लाभ दिया गया है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-530(ii), दिनांक 20.12.2007 के आधार पर स्वयंसेवी संस्थान उत्थान, राँची के द्वारा पूरे रकबे पर कार्य करने का गलत दावा किया गया एवं इसके आधार पर ही द्वितीय किस्त की राशि पन्द्रह लाख रूपये प्राप्त की गई, जिसकी पुष्टि प्रमंडलीय आयुक्त, राँची द्वारा करायी गई जाँच में हुई है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1965, दिनांक 28.02.2012 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 12.06.2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-10088, दिनांक 31.08.2012 द्वारा उपायुक्त, गुमला से मंतव्य की माँग की गई। कई स्मार के पश्चात् उपायुक्त, गुमला से मंतव्य अप्राप्त रहने पर मामले के समीक्षोपरांत, विभागीय संकल्प सं0-1198 दिनांक 07.02.2014 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इसी क्रम में, उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-132(ii) दिनांक 10.02.2014 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध करवाया गया, जिसमें श्री कुमार द्वारा योजना से संबंधित जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने में लापरवाही बरतने एवं मामले को गंभीरता से नहीं लेने का मांतव्य गठित किया गया, जिसे विभागीय पत्रांक-2865, दिनांक 24.03.2014 द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराई गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर पत्रांक-208 दिनांक 15.05.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य की कंडिका-19 में स्पष्ट किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह- अंचल अधिकारी की हैसियत से तीन-तीन बार योजना स्थल का स्थलीय निरीक्षण करने का अवसर मिला था और तीनों बार उनके द्वारा योजना भूमि में कोई विसंगति दृष्टिगोचर नहीं हुई, जबकि इनके प्रतिस्थानी अंचल अधिकारी ने वर्ष 2011 में उपायुक्त के निदेशानुसार स्थलीय जाँच कर प्रतिवेदित किया कि 70% से ज्यादा भूमि फर्जी थी। भू-अधिकार अभिलेख में अभिलिखित रकबा से अधिक रकबा में पौधारोपण का दावा किया गया था। कहीं-कहीं एक ही प्लॉट को दो-दो बार अंकित कर जेट्रोफा से आच्छादित क्षेत्र को फर्जी तरीके से बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था। गुमला जिला के बसिया प्रखंड में आरोपों से संबंधित जेट्रोफा वृक्षारोपण योजना 2007 के कार्यान्वयन में अनियमितता हुई थी, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित होते हैं।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपो हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत इनकी तीन वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-1208, दिनांक 08.02.2019 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। इनसे उत्तर अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक-2331, दिनांक 14.03.2019, पत्रांक-4411, दिनांक 04.06.2019, पत्रांक-5938, दिनांक 25.07.2019 एवं पत्रांक-8076, दिनांक 03.10.2019 द्वारा इसके लिए स्मारित किया गया। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्र दिनांक 22.10.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) कार्यारम्भ एवं राशि विमुक्ति से पूर्व परियोजना कार्यान्वयन हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला के साथ संबंधित गैर सरकारी संस्था को एम0ओ0यू0 तथा संबंधित जेट्रोफा उत्पादक समिति को प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसिया के साथ एकरारनामा करना था। यहाँ स्पष्ट होना चाहिए कि एम0ओ0यू0/एकरारनामा किसी स्तर पर नहीं हुआ था, तो पहला, दूसरा एवं तीसरी किस्तों में अग्रिम राशि की भुगतान क्यों किया गया था? उपायुक्त/डी0आर0डी0ए0, गुमला ने स्वयं ही अपने आदेश का उल्लंघन किया था।

(ii) उत्थान एन0जी0ओ0 द्वारा पौधारोपण गैर स्वीकृत स्थलों पर किया गया था, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसिया के प्रतिवेदन पत्रांक-530 दिनांक 20.12.2007 में प्रतिवेदित था। सक्षम प्राधिकार को स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-846, 847, 848 दि0 30.07.2007 में दर्ज स्थलों/ग्रामों और प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसिया (आरोपी पदाधिकारी) के पत्रांक-530 दिनांक 20.12.2007 में प्रतिवेदित पौधारोपण में सन्निहित भूखंडों के विवरण का मिलान कर ही द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त करना चाहिए था, क्योंकि अभिलेख का संधारण एवं वित्त पोषण का कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला द्वारा ही किया जा रहा था, परन्तु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला द्वारा ऐसा न कर द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त कर दी गई थी, जिससे स्पष्ट है कि गैर स्वीकृत स्थलों/ग्रामों में उत्थान द्वारा किये गये पौधारोपण की सूचना स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारियों के संज्ञान में थी। पुनः तृतीय किस्त की राशि भी संभवतः इसी आधार पर विमुक्त की गई थी। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसिया (आरोपी पदाधिकारी) की कोई गलती नहीं थी।

(iii) मेरे ऊपर यह भी आरोप है कि प्लॉटों के वास्तविक खतियानी रकबा को बढ़ाकर अधिक रकबा पर पौधरोपण प्रतिवेदित किया गया था, जिसकी वजह से 156.24 एकड़ भूमि (क्रमांक-13/प0-25/प0) बढ़ गया था। आरोप था कि वास्तविकता से ज्यादा भूमि पर पौधारोपण प्रतिवेदित किया गया था। इस संबंध में मुझे सादर समर्पित करना है कि मेरी मूल पदस्थापना प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसिया के पद पर थी और अतिरिक्त प्रभार अंचल अधिकारी, बसिया के रूप में थी। रकबा की नापी/सत्यापन मूलतः तकनीकी विषय है, जिसमें अहम अमीन/राजस्व कर्मी ही होते हैं। प्रखंड में कार्य की अधिकता/विविधता के कारण उक्त अंचल कार्यों में उनके द्वारा किये गये कार्यों में विश्वास करके ही प्रतिवेदन भेजा गया था। इसमें आरोपी पदाधिकारी की मंशा कदापि गलत या किसी को अनुचित लाभ पहुँचाने की नहीं थी।

(iv) प्रखंड विकास पदाधिकारी, डुमरी श्री रवीन्द्र चौधरी पर गठित प्रपत्र-'क' का संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जांच पदाधिकारी श्री विनोद चन्द्र झा द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में समर्पित किया गया है। उक्त पदाधिकारी पर गठित प्रपत्र-'क' का विषय तथा मुझ पर गठित प्रपत्र-'क' का विषय एक ही समान है, परन्तु संचालन पदाधिकारी श्री झा द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में उक्त आरोपी पदाधिकारी को आरोप से मुक्त कर दिया गया। उल्लिखित है कि एक ही विषय पर गठित आरोप के विरूद्ध अलग-अलग संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जांच पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में भिन्नता है, जो संदेहास्पद है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) आरोपी का कथन अमान्य है, क्योंकि यदि संबंधित जेट्रोफा उत्पादक समिति द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसिया के साथ एकरारनामा नहीं किया गया था तो आरोपी द्वारा उक्त संबंध में क्या कार्रवाई की गई, इसका कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।

(ii) आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध आरोपों के गठन का मूल आधार उनके पत्रांक-530 दि0 20.12.2007 द्वारा प्रेषित पौधारोपण संबंधी रकबा का सत्यापन प्रतिवेदन है, जिसमें उत्थान संस्था द्वारा 679.34 एकड़ जमीन पर प्रति एकड़ 666 पौधा मानव प्राक्कलन के अनुरूप लगाया जाना प्रतिवेदित किया गया है, अर्थात् श्री कुमार द्वारा अपने प्रतिवेदन में 100 % पौधा जीवित पाया जाना प्रतिवेदित किया गया। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कई प्लॉटों के खतियानी रकबा से अधिक रकबा सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। श्री कुमार के प्रतिवेदन के आधार पर राशि विमुक्ति की कार्रवाई की गई।

(iii) श्री कुमार का उक्त कथन अमान्य है, क्योंकि यदि उनके द्वारा सभी प्लॉटों के रकबा का सत्यापन संभव नहीं था तो रेण्डम बेसिस (Random Basis) पर कुछ प्लॉटों के रकबा का सत्यापन अपनी उपस्थिति में सम्पन्न करवाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त मूल खतियान से मिलान करने पर भी अधिक रकबा संबंधी त्रुटि उनके संज्ञान में आ जाती।

(iv) आरोपी पदाधिकारी का तर्क अमान्य है, क्योंकि श्री चौधरी एवं श्री कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की प्रकृति भिन्न है। श्री कुमार के विरूद्ध जेट्रोफा पौधारोपण हेतु उत्थान स्वयंसेवी संस्था, राँची द्वारा स्वीकृत प्लॉट/रकबा का सत्यापन प्रतिवेदन में गलत एवं भ्रामक प्रतिवेदन देने का आरोप लगाया गया है, जबकि श्री चौधरी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में प्रखंड अंतर्गत क्रियान्वित पौधारोपण एवं अन्य प्रकार की योजनाओं का सही ढंग से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने का आरोप लगाया गया है।

अतः, समीक्षोपरांत, श्री प्रभात कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी, बसिया, गुमला द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते इनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	**2**	**3**
1	PRABHAT KUMAR JHK/JAS/103	श्री प्रभात कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-754/03) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी, बसिया, गुमला के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 59 -- 50